



एक कर - एक राष्ट्र - एक बाजार



जी.एस.टी.

VAT, CST, सर्विस टैक्स, सेन्ट्रल एक्साइज
टैक्स आदि के करदाताओं के लिए

विशेष सूचना

यदि आप अभी तक GST पर एनरोल
नहीं कर पाये हैं

या

आपने एनरोलमेण्ट की प्रक्रिया शुरू
कर दी है, परन्तु एप्लीकेशन सबमिट
नहीं कर पाये हैं

तो

GST Act के नियमानुसार
एनरोलमेण्ट की प्रक्रिया 25 जून
2017 से आरम्भ हो रही है।

आगे क्या करें

- यदि आप Taxpayer हैं और आपको ARN (Application Reference Number) प्राप्त हो चुका है
 - तो आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट "डाउनलोड सर्टिफिकेट" में जाकर GSTN की वेबसाइट से 27 जून 2017 से प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि आपके द्वारा अपनी GST ID को एक्टिवेट करते हुए GST Portal पर समस्त सूचनाएं भर दी गयी हैं परन्तु DSC तथा e-signature की समस्या के कारण आपके द्वारा एप्लीकेशन वेरिफाई नहीं की गयी है
 - तो GST Portal द्वारा उक्त सूचनाओं को सत्यापित करते हुए सही पाये जाने पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर ARN आपको 27 जून 2017 के पश्चात प्रेषित कर दिया जायेगा।
 - यदि Validation mismatch / error आता है, जैसे कि (PAN Not Matching आदि) तो आप इसी पोर्टल पर 27 जून 2017 से पुनः लॉगिन कर करेक्शन कर सकते हैं
 - यदि आपको GSTN ID गलत PAN पर प्राप्त हो गयी है, तो अपना प्रोविजनल ID सही पैन के सापेक्ष प्राप्त करने हेतु ctithqlu-up@nic.in पर संपर्क करें
- यदि आपके द्वारा अपना GST ID एक्टिवेट कर लिया गया है परन्तु एनरोलमेण्ट फार्म पूर्ण नहीं किया जा सका है
 - तो दिनांक 25 जून 2017 से GST लागू होने के 90 दिन तक फार्म अपलोड करने की कार्यवाही आपके द्वारा पूर्ण की जा सकती है
- यदि आप Taxpayer नहीं हैं और GST में रजिस्टर होना चाहते हैं
 - तो आप 25 जून 2017 से GST पोर्टल (www.gst.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं
- यदि आप GST के अन्तर्गत नया पंजीयन प्राप्त करना चाहते हैं
 - तो आप 25 जून 2017 से GST Portal पर अप्लाई कर GSTIN प्राप्त कर सकते हैं

1 राष्ट्र
कर
बाजार



वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

आपकी प्रोविजनल ID ही आपका GST Identification नंबर है।

अधिक जानकारी
के लिये सम्पर्क करें :



वेबसाइट
www.comtax.up.nic.in



ई-मेल
info.up.gst@gmail.com



f
comtaxup



@ComtaxU



हेल्पलाइन
0522-3312600, 2721944



कंट्रोल रूम
0522-2721153